न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या — 134 / 2024

अनवान : —

1. बेगराज पुत्र माडुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन कानसर तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र माडुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन कानसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 26/3/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 424 / 361 की कुल 12.6450 जिसके माडुराम पुत्र गणपतराम खातेदार काश्तकार थे उनकी फौतगदी के बाद उक्त वाद भूमि उनके पुत्रगण जगदीश, हसराज, दीपचन्द व ओमप्रकाश पर औद हुयी तथा इन्होनें वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान अलग करवा लिया एवं बाद खाता तकसीम करवा लिया एवं खाता तकसीम वादी व प्रतिवादीगण स0 1 व उसके भाईयों के नाम अलग अलग दर्ज हो गयी।

रोही मौजा कानसर तहसील नोहर की कृषि भूमि अलग अलग दर्ज हो गयी एवं वादी व प्रतिवादी स0 1 के के मुताबिक खाता तकसीम व नक्शा तरमीम हो गया एवं नक्शा तरमीम में वादी को ख0न0 96 / 4 की 1.366 हैक्ट भूमि संतरा रंग से नक्शा तरमीम कर अंकन कर दिया गया एवं ख0न0 96 / 5 की 1.264 हैक्ट भूमि नीले रंग से अंकन कर प्रतिवादी स0 1 के नाम हो गया मुताबिक नक्शा ख0न0 96 की कृषि भूमि का नक्शा तरमीम हो गया। रोही मौजा कानसर तहसील नोहर का ख0न0 96 / 4 व ख0न0 96 / 5 की कृषि भूमि का नक्शा वर्तमान में ख0न0 96 / 4 व ख0न0 96 / 5 का स्थान में परिवर्तन कर दिया गया है एवं वर्तमान नक्शा की नकल लेने पर ख0न0 96 / 4 वादी के ख0न0 96 / 5 प्रतिवादी स0 1 की निकलती है इसलिए रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 94 / 4 व ख0न0 96 / 5 की स्थिति मुताबिक विभाजन के नक्शा तरमीम करने के संशोधित आदेश जारी किया जावे इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:24:02 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को क[illegible] कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2071–74 रोही मौजा कानसर खाता संख्या 348/424, 57/424, वर्तमान नक्शा, चित्रप्रति आदेश खाता विभाजन आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसका खाता विभाजन सहमति से किया जा चुका है। वादी व प्रतिवादी स0 1 के के मुताबिक खाता तकसीम व नक्शा तरमीम हो गया एवं नक्शा तरमीम में वादी को ख0न0 96/4 की 1.366 हैक्ट भूमि संतरा रंग से नक्शा तरमीम कर अंकन कर दिया गया एवं ख0न0 96/5 की 1.264 हैक्ट भूमि नीले रंग से अंकन कर प्रतिवादी स0 1 के नाम हो गया मुताबिक नक्शा ख0न0 96 की कृषि भूमि का नक्शा तरमीम हो गया। रोही मौजा कानसर तहसील नोहर का ख0न0 96/4 व ख0न0 96/5 की कृषि भूमि का नक्शा वर्तमान में ख0न0 96/4 व ख0न0 96/5 का स्थान में परिवर्तन कर दिया गया है एवं वर्तमान नक्शा की नकल लेने पर ख0न0 96/4 वादी के ख0न0 96/5 प्रतिवादी स0 1 की निकलती है इसलिए रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 94/4 व ख0न0 96/5 की स्थिति मुताबिक विभाजन के यानि की ख0न0 96/4 जो की बेगराज के नाम है उसको नक्शा में 96/5 के स्थान पर एवं ख0न0 96/5 जो की ओमप्रकाश का है उसकों 96/4 में संशोधित किया जावे। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर [illegible] हक को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:24:02 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर म[illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड है वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि का सहमति से खाता तकसीम किया गया था एवं वादी व प्रतिवादी स0 1 के मुताबिक खाता तकसीम व नक्शा तरमीम हो गया एवं नक्शा तरमीम में वादी को ख0न0 96/4 की 1.366 हैक्ट भूमि संतरा रंग से नक्शा तरमीम कर अंकन कर दिया गया एवं ख0न0 96/5 की 1.264 हैक्ट भूमि नीले रंग से अंकन कर प्रतिवादी स0 1 के नाम हो गया मुताबिक नक्शा ख0न0 96 की कृषि भूमि का नक्शा तरमीम हो गया। रोही मौजा कानसर तहसील नोहर का ख0न0 96/4 व ख0न0 96/5 की कृषि भूमि का नक्शा वर्तमान में ख0न0 96/4 व ख0न0 96/5 कां स्थान में परिवर्तन कर दिया गया है एवं वर्तमान नक्शा की नकल लेने पर ख0न0 96/4 वादी के ख0न0 96/5 प्रतिवादी स0 1 की निकलती है इसलिए रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 94/4 व ख0न0 96/5 की स्थिति मुताबिक विभाजन के ख0न0 96/4 जो की बेगराज के नाम है उसको नक्शा में 96/5 के स्थान पर एवं ख0न0 96/5 जो की ओमप्रकाश का है उसकों 96/4 में संशोधित किया जाकर नक्शा तरमीम करने के संशोधित आदेश जारी किया जावे वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के ख0न0 96/4 के स्थान पर ख0न0 96/5 का व ख0न0 96/5 के स्थान पर ख0न0 96/4 के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि कृषि भमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए एवं किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:24:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 134 / 2024

अनवान : –

1. बेगराज पुत्र माडुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन कानसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र माडुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन कानसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 134 सन 2024 निर्णय दिनांक 26/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के ख0न0 96 / 4 के स्थान पर ख0न0 96 / 5 का व ख0न0 96 / 5 के स्थान पर ख0न0 96 / 4 के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए एवं किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:24:02 IST
Reason: SelfAttested